रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 537] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 15, 2009/भाद्र 24, 1931
No. 537] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER15, 2009/BHADRA 24, 1931

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2009

सा. का. नि. 680(अ).—सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (2003 का 34) की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्द्वारा, सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान का प्रतिषेध नियमावली, 2008 में संशोधन करती है अर्थात् :—

(1) (i) इन नियमों का नाम सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान का प्रतिषेध (संशोधन) नियमावली, 2009 है ।

(ii) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे ।

(2) सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान का प्रतिषेध नियमावली, 2008 की अनुसूची III में क्रम संख्या 12 और उससे संबद्ध प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी :—

अनुसूची III

क्रमांक	कार्रवाई करने के लिए अधिकृत व्यक्ति	सार्वजनिक स्थानों का विवरण
(1)	(2)	(3)
"13	पुलिस उपनिरीक्षक से अन्यून पद के पुलिस अधिकारी	उनके कार्य के अंदर के सभी सार्वजनिक स्थान
14	पुलिस उपनिरीक्षक से अन्यून पद के राज्य खाद्य और औषध प्रबंधन अधिकारी	उनके कार्य के अंदर के सभी सार्वजनिक स्थान
15	पंचायती राज संस्थओं के प्रतिनिधी (सरपंच/पंचायत सचिव)	उनके कार्य क्षेत्र के अंदर के सभी सार्वजनिक स्थान
16	जिला कार्यक्रम प्रबंधक/ वित्त प्रबंधक-जिला स्वास्थ्य सोसाइटी (राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन)	उनके कार्य क्षेत्र के अंदर के सभी सार्वजनिक स्थान
17	जिला अस्पताल के सिविल सर्जन/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी	अस्पताल भवन/स्वास्थ्य संस्थान/ औषधालय
18	रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार/लोक अभियोजक/सरकारी वकील	अदालती इमारतें
19	विद्यालय निरीक्षक/जिला शिक्षा अधिकारी	शिक्षण संस्थान
20	यातायात अधीक्षक/सहायक यातायात अधीक्षक/बस विराम स्थल अधिकारी/टिकट संग्राहक या संचालक	सार्वजनिक वाहन
21	यात्रा टिकट परीक्षक/मुख्य टिकट निरीक्षक/टिकट संग्राहक/टिकट संग्राहक से अन्यून पद के अधिकारी या रेल सुरक्षा बल के सहायक उप निरीक्षक से अन्यून पद के समान अधिकारी	रेल"

[फा. सं. पी. 16015/20/2007-पी. एच.]

बी. के. प्रसाद, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम सा. का. नि. 417(अ) दिनांक 30 मई, 2008 के तहत अधिसूचित किए गए थे ।